एक नजर में

कलेक्टर ने दिए त्वरित राहत के निर्देश

गुना। थाना बजरंगगढ़ अंतर्गत ग्राम भिलेरा (सेमरी) मंदिर के पास 20 नवम्बर 2025 की मध्यरात्रि एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें ट्रक और कार नआमने-सामने टकरा गए। कार में कुल 07 यात्री सवार थे। जिसमें 03 यात्री आकाश पुत्र परमाल जाटव निवासी मेहगांव भिंड, नमोनारणायण पुत्र राजकुमार मीना निवासी श्योपुर एवं मनीष पुत्र सुशील चंद्र जाटव निवासी बीनागंज की मृत्यु हो गयी थी। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा उक्त दुर्घटना का संज्ञान लेते हुये दुर्घटना में मृतकों के शवों को रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा उनके निवास निःशुल्क भिजवाने की व्यवस्था की गयी। सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण मृतक और घायलों को आर्थिक सहायता हेतु प्रकरण तैयार किए जा रहे हैं। सभी घायलों को उपचार के लिये जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया हैं। जिनमें से गंभीर 2 घायलों को भोपाल रेफर किया गया है।

कलेक्टर ने दी 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता

गुना। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए जरूरतमंद नागरिक को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। आवेदक चन्दन पुत्र रामभरोसा अहिरवार निवासी हिनोतिया गिर्द द्वारा प्रस्तुत आवेदन में बताया गया कि मेरी अर्थिक स्थिति सही नहीं हैं, जिस पर आवेदक की परिस्थिति को देखते हुए कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल ने संवेदनशीलता दिखाते हुए रेडक्रॉस सोसायटी गुना से 10 हजार रूपये की सहायता राशि स्वीकृत कर आवेदक को चेक प्रदान किया।

नव भारत साक्षरता की बैठक हुई संपन्न

गुना। उगास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत अशासकीय संस्थाओं के प्राचार्यों और प्रधानाध्यापकों की बैठक आज आयोजित की गई। बैठक में उगास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के समस्त असाक्षरों का सर्वे संस्था के ही छात्र एवं छात्राओं को स्वंसेवक/अक्षर साथी बनाकर उनसे ही निर्धारित प्रपत्र पर पूर्ण करा कर डाटा पोर्टल पर अपलोड करने तथा अक्षर साथियों के माध्यम से असाक्षरों की साक्षरता कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करने और सामाजिक चेतना केंद्रों पर अन्य आवश्यक गतिविधियों का आयोजन आदि करने संबंधी निर्देश बैठक में उपस्थित सभी अशासकीय संस्थाओं के संचालकों को दिए गए। उक्त बैठक में जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी श्री अशोक सिंह चौहान जिला सह समन्वयक संभू सिंह यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

चीख-पुकार : दोस्तों की मौत की सवारी बनी बेकाबू कार

शादी से लौट रहे 3 वेटनरी डॉक्टर्स की मौत, चार लोग हुए घायल

नवभारत न्यूज

गुना। खुशियों भरा शादी समारोह मातम में बदल गया। दोस्ती की वह रात तीन परिवारों के लिए कभी न खत्म होने वाले सदमे में सिमट गई। गुना जिले के बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भिलेरा के पास बुधवार-गुरुवार की दरम्यानी रात एक भयंकर सडक् हादसा हुआ, जिसने 3 युवा वेटनरी डॉक्टर्स की जान ले ली, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

भीषणता की हदः इतनी तेज थी कार की टक्कर कि 12-पहिया ट्रक पलट गया!

हादसा रात करीब 2 बजे हुआ, जब अपने दोस्त की शादी से लौट रहे वेटनरी डॉक्टर्स की तेज रफ्तार कार गुना की तरफ से आ रहे एक विशाल ट्रक से टकरा गई। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह टक्कर इतनी भीषण और ज़ोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया—उसके परखच्चे उड़ गए। इस दौरान कार टक्कर के बाद लगभग 50 फुट दूर जा गिरी। वहीं, टक्कर की गति इतनी भयानक थी कि सामने से आ रहे लगभग 12-पहिया वाला ट्रक नियंत्रण खोकर, सडक् पर पूरी तरह से घूम कर पलट गया। सडक् पर चारों तरफ बिखरा मलबा हादसे की भयावहता की कहानी कह रहा था। हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रात के अंधेरे और सन्नाटे में घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। देर रात होने के कारण रोड पर आवागमन नहीं था, जिससे घायल काफी देर तक दर्द से कराहते हुए मौके पर पड़े रहे।

एक राहगीर बना देवदूत, घंटों की मशक्कत के बाद निकाला गया शवों कोः

काफी देर बाद एक राहगीर उधर से निकला, जिसने मंजर देखते ही तत्काल डायल-112 पर सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद घंटों की भारी मशक्कत के बाद कार के मलबे से घायल और मृतकों को बाहर निकाला जा सका। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया। वहीं, दो की हालत बेहद गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर कर दिया गया।

मृतक:
आकाश पिता राजू चौरसिया (निवासी मेहगांव, भिंड) नमोनारायण मीना (निवासी श्योपुर) मनीष कुमार जाटव (निवासी चांचौड़ा, गुना) गंभीर घायल (भोपाल रेफर) योगेश करोलिया पिता प्रेमचंद्र (निवासी व्हीआईपी कॉलोनी गुना) पारस करोलिया पिता होतम करोलिया (निवासी नेहरू नगर, भोपाल) अन्य घायल सूरज जाटव पिता रमेश जाटव (निवासी आरोन) अजय शाक्य पिता निरंजन शाक्य (निवासी मुरैना)

मृतक और घायल—दोस्त, सहपाठी और वेटनरी डॉक्टर्स
ये सभी युवक वेटनरी के प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थे और इन्होंने साथ में पढ़ाई की थी। बुधवार रात वे सभी अपने एक साथी की शादी समारोह में शामिल होने गुना जिले के आरोन पहुंचे थे और वहीं से वापस लौट रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

केंट थाना पुलिस की जुए के फड़ पर दबिश, पांच जुआरी गिरफ्तार, नगद भी बरामद

गुना। शहर की केंट थाना पुलिस ने जुए के फड़ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच जुआरियों को रंगे हाथ पकड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत शाम केंट थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गोविंद गार्डन कॉलोनी स्थित रेलवे ट्रैक के पास कुछ लोग ताश पत्तों से रुपये लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार भार्गव के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताए गए स्थान पर घेराबंदी की, जहां 4-5 लोग फड़ जमाकर ताश के पत्तों से मांग पत्ती का खेल खेलते दिखे। पुलिस ने तुरंत सभी को पकड़ लिया।
पूछताछ में जुआरियों की पहचान फेजान पुत्र रफीक खान निवासी सदर बाजार, फिरोज पुत्र शौकत खान निवासी ढोंगापुरा, कपिल पुत्र संतोष खटीक निवासी खटीक मोहल्ला, हातिम पुत्र अजीज खान निवासी पेंशनर मोहल्ला और इमरान पुत्र रियाज खान निवासी गुलाबगंज निवासी के रूप में हुई। पुलिस ने मौके से 6,300 रुपये नकद और ताश की एक गड्डी जप्त की। केंट थाना पुलिस ने पांचों आरोपी जुआरियों के खिलाफ धारा 13 जुआ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में निरीक्षक अनूप कुमार भार्गव के साथ प्रधान आरक्षक दीपेंद्र परिहार, आरक्षक मयंक गोस्वामी, अर्जुन यादव और गौरव देवलिया का सक्रिय योगदान रहा।

नाबालिगों की खोज और जागरुकता में जुटी पुलिस

नवभारत न्यूज

गुना। पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश के निर्देश पर 1 से 30 नवंबर 2025 तक चल रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुना पुलिस नाबालिगों की खोज और बाल सुरक्षा जागरूकता, दोनों क्षेत्रों में लगातार सक्रिय है। जिले में अपहृत एवं गुमशुदा नाबालिगों की खोज को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुलिस ने दूर-दराज क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाकर अब तक कई बच्चों को सुरक्षित बरामद कर परिजनों से मिलाया है। इसके साथ ही बाल सुरक्षा के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने हेतु थाना और चौकी स्तर पर शैक्षणिक संस्थानों एवं समुदायों में जन-जागरूकता कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार 20 नवंबर 25 को पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी ने सीएसपी गुना प्रियंका मिश्रा और विशेष किशोर पुलिस इकाई की टीम के साथ गुना पुलिस कंट्रोल रूम स्थित सभागार में महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय की छात्राओं और शिक्षकों से संवाद किया। कार्यक्रम में छात्राओं को बच्चों की सुरक्षा, ऑपरेशन मुस्कान, नाबालिगों पर होने वाले अपराधों, साइबर फ्रॉड और सोशल मीडिया से जुड़ी सावधानियों की विस्तृत जानकारी दी गई।

अधिकारियों ने छात्राओं से कहा कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति से दूरी बनाएं, सोशल मीडिया पर सतर्कता बरतें और किसी अजनबी की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें। कार्यक्रम में गुड टच-बैड टच को सरल भाषा में समझाते हुए बताया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति—चाहे परिचित, रिश्तेदार, शिक्षक या मित्र—उनके साथ अनुचित स्पर्श करे या असहजता पैदा करे, तो इसकी सूचना तुरंत माता-पिता, शिक्षक या पुलिस को दें। छात्राओं को साइबर फ्रॉड के सामान्य तरीकों, उनसे बचाव, यातायात नियमों और सडक् सुरक्षा के महत्त्व के बारे में भी बताया गया। इसके बाद छात्राओं एवं शिक्षकों को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर—1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा), 1930 (साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन) के साथ पुलिस कंट्रोल रूम और अधिकारीगण के मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराए गए।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर पुराने लगाने के विरोध में उपभोक्ताओं का आक्रोश, महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन

नवभारत न्यूज

गुना। शहर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने को लेकर उपभोक्ताओं का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। गुरुवार को विद्युत उपभोक्ता एसोसिएशन, गुना ने बिजली कंपनी के महाप्रबंधक को विस्तृत ज्ञापन सौंपकर जबरन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने और इनकार करने पर बिजली काटने की धमकी देने की शिकायत की। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि विभाग जबरन पुराने कार्यशील मीटर हटाकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उपभोक्ता स्पष्ट रूप से इससे इनकार कर रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 55(1) के अनुसार स्मार्ट या प्रीपेड मीटर केवल उपभोक्ता की लिखित सहमति से ही लगाया जा सकता है। किसी भी मौजूदा कार्यरत मीटर को उपभोक्ता की इच्छा के विरुद्ध बदलना कानूनन गलत है। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर न लगवाने पर बिजली काटने की धमकी देना धारा 56(1) का दुरुपयोग है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण फैसले में भी यह स्पष्ट किया गया है कि बिजली कनेक्शन केवल बकाया राशि की स्थिति में ही काटा जा सकता है, किसी अन्य कारण से नहीं।

संगठन ने महाप्रबंधक को सौंपे ज्ञापन में निजता के अधिकार का मुद्दा भी उठाया। स्मार्ट मीटर हर 15 से 30 मिनट में उपभोक्ता की बिजली उपयोग संबंधी जानकारी सर्वर पर भेजता है, जो कि नागरिक की निजी जिंदगी में अनधिकृत दखल है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, जिसके विपरीत स्मार्ट मीटर डेटा संग्रह को बताया गया। उपभोक्ता एसोसिएशन ने विभिन्न उच्च न्यायालयों—बंबई, पंजाब-हरियाणा, राजस्थान, इलाहाबाद और गुजरात उच्च न्यायालयों के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि सभी न्यायालयों ने यह स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं पर जबरन लागू नहीं किया जा सकता और इनकार करने पर बिजली काटना पूरी तरह अवैध है।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि स्मार्ट मीटर से निकलने वाला रेडिएशन द्वारा संभावित स्वास्थ्य जोखिम की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए कई उपभोक्ता स्वास्थ्य कारणों से भी इससे इनकार कर रहे हैं। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि विभाग जबरन मीटर बदलने की कोशिश करता है या बिजली काटी जाती है, तो उपभोक्ता एसोसिएशन कानूनी कार्रवाई करने पर बाध्य होगा। इसके पूर्व उपभोक्ता एसोसिएशन द्वारा शहर के गली-मोहल्लों में नुक्कड़ नाटक कर लोगों को स्मार्ट मीटर के संभावित दुष्प्रभावों, कानूनी प्रावधानों और उपभोक्ता अधिकारों से अवगत कराया जा रहा था। संगठन का कहना है कि जब तक सरकार और विभाग उपभोक्ता की सहमति का सम्मान नहीं करते, तब तक जनजागरूकता अभियान जारी रहेगा।

नेत्र शिविर में 251 की हुई जांच, 104 के होंगे ऑपरेशन

श्री सद्गुरू सेवा संघ ट्रस्ट के सहयोग से लगा शिविर

शिविर में नेत्र विशेषज्ञों ने जांची मरीजों की आंखे

नवभारत न्यूज

गुना। श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट, आनंदपुर द्वारा बुधवार को बीनागंज में निःशुल्क मोतियाबिंद जांच एवं ऑपरेशन शिविर आयोजित किया गया। जिसमें नेत्र विशेषज्ञों की टीम ने 251 नेत्र रोगियों की जांच की।

इस दौरान 104 मोतियाबिंद पीड़ित मरीजों को चिन्हित किया गया, जिनके मोतियाबिंद के निशुल्क आपरेशन सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर में किए जाएंगे। वहीं शिविर में 152 मरीजों को दवा वितरण एवं 65 को निशुल्क चश्मा वितरित किए गए एवं ऑपरेशन वाले मरीजों को निःशुल्क कंबल वितरित किए जाएंगे। शिविर के संचालन में डॉ. सौरभ शर्मा, नेत्र सहायक सोनू शर्मा, व्यवस्थापक विजय सिंह रघुवंशी, रामप्रसाद शुक्ला, जीतू पाठक, डाल सिंह जादौन आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

मुरादपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई 7 हजार लीटर लहान नष्ट

गुना। जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र के ग्राम मुरादपुर में अवैध शराब निर्माण की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब माफियाओं द्वारा तैयार कर रखा लगभग 5 लाख कीमत का 7,000 लीटर लहान नष्ट किया है। गौरतलब है कि जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र के ग्राम मुरादपुर में पारदियों के डेरों पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध शराब बनाये जाने की सूचना पर कार्यवाही हेतु धरनावदा थाना एवं झागर चौकी से पुलिस फोर्स तत्काल मुरादपुर पहुंचा और जहां पारदियों के डेरों पर मुखबिर की बताई जगह पर जाकर देखा तो मौके पर तो कोई नहीं मिला लेकिन आसपास सर्चिंग करने पर ड्रमों आदि में शराब बनाने के लिये तैयार किया गया करीबन 7000 लीटर लहान भरा हुआ मिला, जिसे पुलिस फोर्स द्वारा मौके पर ही नष्ट किया गया एवं जहां पर अवैध शराब निर्माण में संलिप्त माफियाओं की पहचान के पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और जिनकी पहचान कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।
अवैध शराब के विरूद्ध धरनावदा थाना पुलिस की इस कार्यवाही में इंचार्ज थाना प्रभारी सउनि अनिल कदम, झागर चौकी प्रभारी सउनि राजीव गौड, सउनि सैय्यद साजिद हुसैन, प्रधान आरक्षक दिनेश रघुवंशी, प्रधान आरक्षक कल्याण सिंह, प्रधान आरक्षक जोगेश शर्मा, प्रधान आरक्षक अजय कुमार, आरक्षक रघुकुल मिश्रा, आरक्षक धर्मेन्द्र धाकड़, आरक्षक राकेश गुर्जर, आरक्षक राघवेन्द्र बुन्देला, आरक्षक राजेश परिहार, आरक्षक अवधेश परिहार एवं सैनिक सुखलाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

बैठक | कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक, दिये कई निर्देश

सामाजिक न्याय एवं श्रम विभाग की समीक्षा

नवभारत न्यूज

गुना। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सामाजिक न्याय विभाग एवं श्रम विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री कन्याल ने जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र में रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये। इस संबंध में प्र. उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग अब्दूल गफ्फार ने बताया कि सीनियर प्रोस्थेटिस्ट/ऑर्थोटिस्ट (ओएच श्रेणी) हेतु मानदेय राशि 20 हजार 500 रूपये एवं योग्यता आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स (बीपीओ) में स्नातक निर्धारित है। उन्होंने बताया कि उक्त पद हेतु इ%छुक उम्मीदवार उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन से संपर्क कर सकते है। कलेक्टर ने ग्रामीण एवं नगरीय निकायों में पदस्थ सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को पेंशन होल्ड किये गये हितग्राहियों का सत्यापन कार्य 30 नवम्बर 2025 तक शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिये है।

बैठक में श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री कन्याल ने जिले में संचालित सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के पंजीयन अनिवार्य करने के निर्देश दिए। श्रम अधिकारी आशीष तिवारी ने बताया कि दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 प्रदेश में प्रभावी है, जिसके अंतर्गत नगर पालिका एवं नगर परिषद क्षेत्र में संचालित सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को पंजीयन कराना अनिवार्य है। यह पंजीयन श्रम सेवा पोर्टल के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन उपलब्ध है। बैठक में कलेक्टर श्री कन्याल ने कहा ऐसे संस्थान जो अब तक पंजीयन नहीं करा पाए हैं, उन्हें शीघ्र नोटिस जारी किया जाए। साथ ही, जिन्होंने गलत दस्तावेजों के आधार पर पंजीयन प्राप्त किया है, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश श्रम पदाधिकारी को दिए। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को पंजीयन प्रक्रिया को पारदर्शी, सुगम और समयबद्ध बनाने तथा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी प्रदान किए। बैठक में श्रम निरीक्षक रामकुमार चौदहा सहित श्रम एवं सामाजिक न्याय विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे।

विश्व शांति हवन के साथ हुइ इंद्रध्वज महामंडल विधान

श्रावक और मुनि दोनों मिलकर खींचते हैं धर्म का रथ पहिया : निर्यापक मुनिश्री योग सागर जी

नवभारत न्यूज

गुना। शहर के बूढ़े बालाजी रोड गौशाला पर चल रहे दस दिवसीय इंद्रध्वज महामंडल विधान का समापन विश्व शांति की हवन के साथ हवनकुंड में आहूर्तियां देकर हुआ। इसके पूर्व प्रातः निर्यापक मुनिश्री योग सागरजी महाराज केससंघ सानिध्य श्रीजी का अभिषेक, शांतिधारा एवं पूजन हुई। इसके उपरांत विधान में इंद्र-इंद्राणी सहित आम श्रद्धालुओं ने बह्मचारी धीरज भ्भैयाजी के निर्देशन में हवन कुंड में धार्मिक विधि विधान के साथ हवन किया। जिसके बाद श्रीजी का पैदल विहार पाश्र्वनाथ बड़े जैन मंदिर पर हुआ। इस अवसर पर मुनिश्री योग सागरजी महाराज ने कहा कि जिन्होंने इंद्रियों और मन को जीत लिया है वही सच्चा जैन होता है। धर्म रूपी रथ श्रावक और मुनिराज दोनों पहियों के द्वारा ही आगे बढ़ सकता है। जो श्रद्धावान विवेकवान और क्रियावान हो वही सच्चा श्रावक है। जो 28 मूल गुणों का पालन करते हुए निरंतर तप, ध्यान में लीन रहते हैं और समस्त प्रकार के परिग्रह से रहित होकर अहिंसा धर्म का पालन करते हैं वही सच्चे वीतरागी निर्ग्रंथ मुनि होते हैं। उन्हीं वीतरागी संतों का अनुशरण करते हुए अपने मन और इंद्रियों को जीत लेता है वहीं सच्चा जैन कहलाता है। गुनावासियों को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा कि नाम को ही नहीं सर्वनाम को अपनाए जो सर्वनाम को अपनाता है उसका नाम अपने आप हो जाता है। इसके पूर्व ऐलकश्री तन्मय सागरजी महाराज ने प्रारंभ से लेकर अतं तक गुरुकृपा बताई। उन्होंने कहा कि मुनिश्री योग सागरजी जैसे वात्सल्यमयी गुरु से प्रार्थना करता हूं कि मेरी समाधि तक मुझे आशीर्वाद देते रहे। इस मौके पर 21 नवंबर को वीरेन्द्र लोक में होने वाले शिक्षा के मंदिर का भव्य शिलान्यास के लिए उन्होंने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाला विद्यालय बताया। जहां से पढक़र बच्चे लौकिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा प्राप्त करके धर्म के मार्ग पर स्वयं चलेंगे और धर्म को धारण करने वाले मुनिराजों की सेवा और उनकी चर्या में सहभागी बन सकेगे। वहीं पश्चात 22 और 23 नवंबर को बी.जी. रोड स्थित ऋषभायतन नसिया जी में वार्षिक रथोत्सव समारोह संपन्न होगा।